&P-1

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/ए–1/1229/विविध/2020/93 दिनांक : 18/03/2020

दिशा–निर्देश

विषय :– COVID-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के संबंध में निदेशालय एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। उक्त बाबत राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देश के क्रम में कार्यालय हाजा एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को COVID-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखें ।
2. समस्त कार्मिक साबुन/हैण्डवाश इत्यादि से नियमित रूप से और अच्छी तरह से हाथ धोएं अथवा हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें तथा यथा संभव हाथ मिलाने से बचें।
3. किसी भी कार्मिक में जुकाम, खांसी, बुखार एवं समान लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक से संपर्क करें एवं मुंह को ढक कर रखें ।
4. सर्दी, जुकाम एवं श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखें तथा समूह में खड़े न रहे ।
5. खांसी अथवा छींक आने पर मुंह व नाक पर टिश्यू पेपर अथवा कोहनी मोड़ कर लगायें।
6. कार्यालय स्थल पर अधिकारी एवं कर्मचारी यथा संभव एक मीटर की दूरी बना कर बैठे।
7. सभी कार्यालय भवनों में बार बार छुए जाने वाले दरवाजो, खिड़कियों के हत्थे, रेलिंग, कुर्सियों, अलमारियों के हत्थे, सीढियो आदि को एक प्रतिशत सोडियम हाई पोक्लोराइड के घोल से साफ करवायें । कार्यालय भवन की समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था करे एवं परिसर का फर्श फिनाईल का पोंछा लगाकर साफ करवावें।
8. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त बाबत जारी एडवाईजरी का पालन करें ।
9. विद्यालय कार्यालयों एवं स्टाफ रूम में एक साथ यथासंभव भीड़ इकट्ठी न हो इस बात का ध्यान रखें ।

www.rajteachers.com

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. समस्त ग्रुप अधिकारी/अनुभागाधिकारी, कार्यालय हाजा
5. भण्डार प्रभारी कार्यालय हाजा
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
11. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु
13. रक्षित पत्रावली

www.rajteachers.com

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर